न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/613

मिसल नम्बर– 91/2025

श्रीमति मधुबाला मोदी पत्नी रमेशचंद मोदी आयु 60 वर्ष निवासी सुमधुर आशियां मकान नं0 189/25 एम्बॅराल्ड सुवालका मल्टी स्टोरी के पास बूदी रोड कुंहाडी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.आशीष मोदी आत्मज रमेशचंद मोदी
2.श्रीमती आशा ताम्बूलकर पत्नी आशीष मोदी निवासीगण सुमधुर आशियां मकान नं0 189/25 एम्बॅराल्ड सुवालका मल्टी स्टोरी के पास बूदी रोड कुंहाडी एवं आशा साम्बूलकर पुत्री रमेशचंद साम्बूलकर निवासी वार्ड नं 12 परदेशीपुरा पोस्ट टीमरनी जिला हरदा मध्यप्रदेश

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/02/2026

उपस्थितिः–

1.श्री महेन्द्र सिंह हाडा प्रार्थी लीगल अधिवक्ता
2.ज्योति बाला राठौड अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 60 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है एवं अधिकतर समय बीमार रहती है जो अपने पति की स्वअर्जित आय से निर्मित मकान नंबर 189/25 बूंदी रोड कुन्हाडी कोटा राजस्थान मे निवास करते है प्रार्थिया व उसके पति वरिष्ठ नागरिक है एवं हार्ट की बीमारी से ग्रसित है प्रार्थिया व उसके पति का दोनो का इलाज चल रहा है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थिया का पुत्र है एवं अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थिया की पुत्रवधु है अप्रार्थी कम 2 प्रार्थिया एवं उसके पति पर निरन्तर दबाव बनाकर उनके मकान को हडपने की नियत से आए दिनगाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो जाते है और प्रार्थिया एवं उसके पति को उनके खरीदशुदा मकान से बाहर निकालने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर प्रताडित कर रहे है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थिया क्रम 2 का विरोध करने पर प्रार्थिया एवं उसके पूरे परिवार को झूटे मुकदमे मे फंसाने आत्महत्या करने की धमकी अप्रार्थी कम 2 देती है जिसके कारण अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भी अप्रार्थिया क्रम 2 के अत्याचारो को नही

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

शोका जा रहा है अप्रार्थिया कम 2 प्रार्थिया एवं उसके पति से जबरन रूपये मांगते है एवं नही देने पर रूपये छीन लेती है। जबकि प्रार्थिया एवं उसके पति के आय का कोई साधन नही है और प्रार्थिया एवं उसके पति के भरण पोषण एवं हारी बीमारी के इलाज की भी कोई व्यवस्था नही है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 प्राइवेट कपनी मे जॉब करता है व अप्रार्थी क्रम 2 भी पढ़ी लिखी होने से प्राइवेट कंपनी मे जॉब करती है लेकिन अप्रार्धीगण की कोई सारसभाल अप्रार्थीगण द्वारा नही की जा रही एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया व उसके पति के शांतिपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया है। इसलिए अप्राथीगण को प्रार्थिया के खरीदशुदा मकान से बेदखल किया जाना अति आवश्वक है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया को भरण पोषण की राशि के रूप मे लगभग 10,000/– मासिक दिलाया जाना अति आवश्यक है ताकि प्रार्थिया व उसके पति की हारी बीमारी व भरण पोषण की व्यवस्था की जा सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के मकान नंबर 189/25 बूंदी रोड कुन्हाडी कोटा से बेदखल करने व प्रार्थिया की सेवा सुश्रषा एवं इलाज हेतु मासिक भरण पोषण राशि 10,000/– दिलाए जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता के प्रति अपने संपूर्ण दायित्वो का निर्वहन पूर्णतया करता चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता की हारी बीमारी एवं सेवा सुश्रूषा निरन्तर करता चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह अप्रार्थी क्रम 2 के साथ होने के पश्चात अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 व प्रार्थिया अर्थात माता पिता के साथ क्रूरतापूर्ण प्रताडना चालू कर दी एवं अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 पर निरन्तर यह दबाव बनाया कि वह अपने माता पिता को घर से बेघर कर देवे और उनकी सेवा से विमुख हो जावे फिर भी अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्वो को पूर्ण करता रहा जिसके चलते अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 का जीना दूभर कर दिया और बिना किसी कारण अप्रार्थी कम 1 का परित्याग कर अप्रार्थी क्रम 1 की संतान को भी अपने साथ ले गयी और अप्रार्थी क्रम 1 को अपनी संतान सुख से भी वचित कर दिया। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा ही प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पिता के साथ क्रुरतापूर्ण प्रताडना कारित की है अप्रार्थी क्रम 1 की उक्त क्रूरता मे किसी प्रकार की सहभागिता नही है अप्रार्थी क्रम 1 स्वंय अप्रार्थी क्रम 2 की क्रूरतापूर्ण प्रताडना का शिकार है। अप्रार्थी क्रम 1 की आर्थिक स्थिति वर्तमान मे अच्छी नही है जिस कारण अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता को संपूर्ण सुख सुविधाएं देने से वंचित है किन्तु अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण दायित्वो का निर्वहन करने को तत्पर है। अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 के उपर भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे है और अप्रार्थी क्रम 1 के प्रति अपने दायित्वो का किसी प्रकार का निर्वहन नही किया

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है स्वंय आप्रार्थी क्रम 1 प्रताडना का शिकार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के टाईटल में प्रार्थीया द्वारा स्पष्ट रूप से अप्रार्थी नं0 2 का पता आशा साम्बूलकर पुत्री रमेशचंद साम्बूलकर निवासी वार्ड नं 12 परदेशीपुरा पोस्ट टीमरनी जिला हरदा मध्यप्रदेश अंकित किया है। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी अंकित है कि अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 का जीना दूभर कर दिया और बिना किसी कारण अप्रार्थी कम 1 का परित्याग कर अप्रार्थी क्रम 1 की संतान को भी अपने साथ ले गयी और अप्रार्थी क्रम 1 को अपनी संतान सुख से भी वचित कर दिया।

प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से किये गये कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में निवास नही किया जा रहा है। परन्तु फिर भी प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया क्लीन हैण्डस से न्यायालय में उपस्थित नही हुई है। तथ्यों को छिपाकर प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार हम प्रार्थीया के पक्ष में इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष दिलाया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है जिस कारण से प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण को बेदखल करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 5,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड कोटा